तूफान के साथ हल्की बारिश हुई। इससे कई बिजली के पोल व पेड़ धराशायी हो गए, जिससे बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। मौसम परिवर्तन से तापमान में कमी जरूर आई है लेकिन उमस बढ़ गई। शहडोल, अनूपपुर, कटनी, उमरिया, मंडला, सतना, बालाघाट, सिवनी, दमोह, नरसिंहपुर, रीवा में हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। बालाघाट में राइस मिल की छप्पर ढह गई, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। नरसिंहपुर जिले के करेली में नीम का पेड़ एक पान की दुकान पर गिर गया। घटना में राजेंद्र (50) पिता हरिशंकर व्यास की चपेट में आने से मौत हो गई। करेली में ही पेड़ गिरने की दो और घटनाओं में ऊमरपानी निवासी आशीष सोनी (24) और रामवार्ड करेली में चंदन कोल बुरी तरह घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नाराजगी की वजह एयरपोर्ट पर हुई अव्यवस्था थी। अव्यवस्था का कारण व्यवस्था बनाने वाले ही थे। दरअसल कोहली सहित टीम के खिलाड़ी फ्लाइट से उतरकर एयरपोर्ट के लॉन्ज में पहुंचे तो बहुत से छोटे-बड़े बच्चों ने उन्हें घेर लिया। ये बच्चे धमतरी जिले के एक विधायक के परिवार के थे, जिन्हें विधायक ने एयरपोर्ट की सुरक्षा संभाल रहे सीआइएसएफ के अधिकारियों के जरिए लॉन्ज तक बुलवा लिया था।

आतंक मचाने वाले तेंदुए की भूख से मौत

ग्वालियर। कई गांवों में आतंक मचाने के बाद तेंदुए ने सांक नदी के किनारे दम तोड़ दिया। तेंदुए की मौत भूख के कारण हुई, क्योंकि इसे जंगल में शिकार के लिए जानवर नहीं मिले।

जब गांवों में घुसकर मवेशियों पर हमला बोला तो ग्रामीणों ने लट्ठ और पत्थर से इसे घायल कर दिया। घाटीगांव के इलाके मे वैसे तो घने जंगल हैं, लेकिन इन जंगलों में रहने वाले जानवर गायब हैं। केवल तेंदुए जैसे मांसाहारी प्राणी जरूर हैं। अब तेंदुए को भी शिकार करने के लिए जंगल मे जानवर नहीं मिल रहे हैं। इसी कारण एक तेंदुआ तितावली से लेकर कई गांवों में आया। भूख के कारण उसने मवेशियों को शिकार बनाना चाहा तो ग्रामीणों ने पत्थर मारकर खदेड़ दिया। अंत में सांक नदी के पास जाकर भूखे पेट पानी पिया तो पेट में इंफेक्शन फैल गया और उसकी मौत हो गई।

लॉरल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

पंजी. कार्या. : गांव भीडमी, तहसील सोहना, गुड़गांव-122103, हरियाणा

E-mail: laurelorganicslimited@gmail.com

Web. www.laurel.co.in

CIN No. : L24239HR1993PLC032120

सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (लिस्टिंग रेगुलेशन एवं डिस्क्लोज़र अपेक्षाएं) नियमनों, 2015 के नियमन 47 के साथ पठित नियमन 33 के तहत अन्य बातों के अलावा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक अंकेक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर विचार करने और अनुमोदित करने के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 30 मई, 2016 को अप. 3.00 बजे आयोजित की जाएगी।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.laurel.co.in के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते लॉरल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

हस्ता/-

स्थान : गुड़गांव — गौरव कुमार

दिनांक : 21.05.2016 — (अनुपालन अधिकारी)

देश का सबसे ऊंचा तिरंगा हुआ 'गायब'

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव पर 23 दिन पहले फहराया गया दुनिया का सबसे ऊंचा तिरंगा रविवार की सुबह से ही गायब है। आस-पास के लोगों ने सुबह जब पोल पर लगा तिरंगा नहीं देखा तो इसकी फोटो वाट्स ऐप पर शेयर की।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

शाखा कार्यालयः मयूर विहार, फेज-3, दिल्ली

दिनांक: 06-04-2016

श्रीमती देविन्दर कौर
डी-169, लाजपत नगर-I, नई दिल्ली
प्रिय महोदया,

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत

Reg:- खाता संख्या 460600NG00000524, 460600NC00000643, 4606009900000480 श्रीमती देविन्दर कौर, डी-169, लाजपत नगर, नई दिल्ली के द्वारा प्राप्त की गई उधार सुविधाएं।

आप, श्रीमती देविन्दर कौर निवासी डी-169, लाजपत नगर, नई दिल्ली ने निम्न उधार सुविधाएं प्राप्त की।

सुविधा	सीमा	बकाया राशि दिनांक 31.03.2016 तक
1. कार ऋण	5,32,000.00	3,99,525.00
2. गृहऋण	49,90,000.00	50,37,458.00
3. ODPRH	10,00,000.00	10,13,605.68
योग	65,22,000.00	64,50,588.68

किश्तों/ब्याज/मूलऋण का भुगतान नहीं करने के कारण खातों को भारतीय रिजर्व बैंक की मार्गदर्शिता के अनुसार गैर निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमने समस्त बकाया राशि ब्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ दिनांक 19.01.2016 के पत्र द्वारा उपरोक्त सुविधाओं हेतु मांग की। दिनांक 31.03.2016 को बैंक की बकाया रू. 64,50,588.68 (रूपये चौसठ लाख पचास हजार पांच सौ अठ्ठासी और अड़सठ पैसे मात्र) दिनांक 01.03.2016 से पूर्ण भुगतान होने तक आगे के ब्याज (यहां इसे आगे प्रतिभूत ऋण कहा गया) के साथ।

उक्त सुविधाओं के अंतर्गत बकायों को प्रतिभूत करने हेतु आपने निम्नलिखित संपत्तियों/आस्तियों के संदर्भ में प्रतिभूति हित सृजित किया है

क्र.सं.	सुविधा	प्रतिभूति
01	1. कार ऋण	कार का दृष्टिबंधन
02	2. गृहऋण	नं. VIII/1380 एवं 1380A (पुराना), 2156 (नया), गली सुदामा, सीताराम बाजार, दिल्ली-110006
03	3. ओवरड्राफ्ट	नं. VIII/1380 एवं 1380A (पुराना), 2156 (नया), गली सुदामा, सीताराम बाजार, दिल्ली-110006

हम आपसे रू. 64,50,588.68 (रूपये चौसठ लाख पचास हजार पांच सौ अठ्ठासी और अड़सठ पैसे मात्र) अनुबंध की दर से पूर्ण भुगतान होने तक के आगे के ब्याज के साथ इस नोटिस की दिनांक से 60 दिवस के भीतर भुगतान की मांग करते है। ऐसा करने में असमर्थ रहने पर विधि अंतर्गत उपलब्ध बैंक के अन्य अधिकारों के प्रयोग के अतिरिक्त बैंक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसे आगे अधिनियम कहा गया) की धारा 13(4) के अंतर्गत एक अथवा समस्त उपलब्ध शक्तियों के प्रयोग में कार्यवाही हेतु बाध्य है, आपके द्वारा प्रतिभूत ऋणों का भुगतान नहीं किये जाने पर बैंक द्वारा कार्यवाही हेतु निम्न प्रतिभूत आस्तियों का विवरण।

1. नं. VIII/1380 एवं 1380A (पुराना), 2156 (नया), गली सुदामा, सीताराम बाजार, दिल्ली-110006

कृपया यह सूचित रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार आप इस नोटिस की प्राप्ति के पश्चात उपरोक्त संदर्भित किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बैंक द्वारा पूर्व लिखित सहमति के किसी भी तरह से विक्रय, पट्टे या अन्य (किसी भी सामान्य व्यापारिक व्यवहार से) तरीके से हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप इस वैधानिक प्रतिबंध का कोई भी उल्लंघन करते है तो तदनुसार उक्त अधिनियम की दृष्टि में इसे अपराध माना जाएगा। यदि किसी भी अन्य कारण से प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री या किसी भी सामान्य व्यापारिक व्यवहार में पट्टे पर दी जाती है तो विक्रय आगम या वसूल आय बैंक को जमा करायी जानी चाहिए। आपको उक्त वसूली/आय का पर्याप्त खाता विवरण प्रस्तुत करना होगा।

*हम अन्य प्रतिभूत आस्तियों के प्रवर्तन हेतु अपना अधिकार सुरक्षित रखते है

कृपया इस सूचना के अंतर्गत की गई मांग का अनुपालन करें तथा समस्त असुविधाओं से बचें। अनुपालन नहीं करने की स्थिति में आपको समस्त लागतों तथा परिणामों का उत्तरदायी ठहराते हुए आवश्यक आगे की कार्यवाही की जाएगी।

* यह नोटिस बिना किसी पक्षपात के डीआरटी/न्यायालय के समक्ष पक्षास्थिति हेतु निर्गमित किया गया है।

आपका आज्ञाकारी,
प्राधिकृत अधिकारी

ही है पूछताछ में राज

लेडी डॉन

, गुप्ती, बेसबॉल का बल्ला, शराब की और आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं। ने यहां लगे कैमरों का डीवीआर और र सीपीयू और लैपटॉप जांच में लिया है। स रिसोर्ट जंगल में है। सपना ने इसे नामक व्यक्ति से 70 हजार रुपए महीने ार ले लिया था।

रही है पूछताछ

सपना साहू पुलिस कस्टडी में है। हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। उसने अपने साथियों के नाम कबूले हैं। हम उन्हें भी बना रहे हैं।

एस. धुर्वेया, सीएसपी मल्हारगंज